(1)	(2)	(3)
14.	Mahatma Gandhi's Birthday	2-10-2013
15.	Dussehra	13-10-2013
16.	Idu'l Zuha (Bakrid)*	16-10-2013
17.	Maharishi Valmiki's Birthday	18-10-2013
18.	Diwali	3-11-2013
19.	Muharram*	14-11-2013
20.	Guru Nanak's Birthday	17-11-2013
21.	Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day	24-11-2013

*** Subject to appearance of the Moon**

All L-16, L-17, L-19, L-20, L-21, L-22, L-28, L-29, P-10, and P-13 licensees shall observe only the following days as dry days :

1.	Republic Day	26-1-2013
2.	Independence Day	15-8-2013
3.	Mahatma Gandhi's Birthday	2-10-2013

The above order is subject to the provision that the Commissioner of Excise with approval of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, may at any time, declare any dry day in addition to above, in respect of :—

(a) Any date/day notified as holiday under Section 25 of the Negotiable Instruments Act.

(b) The day/date of polling and two days immediately preceeding the day/date of polling during any election/bye election to be conducted by the Election Commission of India within the National Capital Territory of Delhi;

(c) Any other date/day desired to be observed as such in emergent cases or may delete any date from the above list.

The licensees shall not be entitled to any compensation on account of any changes effected in the above list.

The restrictions of sale on liquor on dry days mentioned above shall not apply to the service of liquor to residents in case of hotels having L-15 licence.

All the licensees shall exhibit this list at some conspicuous place of their licensed premises.

A. K. SINGH, Commissioner of Excise

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2012

सं. फा. 6(59)/2002/डीआईएसएमएच/प्रशा./449.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24-9-1968 के कार्यालय ज्ञापन सं. 24/78/68-डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 21 मई, 2008 को अधिसूचित दिल्ली स्वास्थ्य सेवा नियमावली के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (भारतीय चिकित्सा पद्धति) नियमावली, 2008 के अधिक्रमण में, केवल इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा न किए गए कार्यों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय में दिल्ली सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (भारतीय चिकित्सा पद्धति) स्वास्थ्य सेवा नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** .—(i) इन नियमों को दिल्ली सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (भारतीय चिकित्सा पद्धति) स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2012 कहा जा सकेगा ।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. **परिभाषाएं** .—जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इन नियमों में,—

(क) "आयोग" का अर्थ संघ लोक सेवा आयोग से है;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकरण" का अर्थ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार से है;

(ग) "विभागीय पदोन्नति समिति" का अर्थ सेवा के 'क' वर्ग के पदों की पदोन्नति या स्थायीकरण के मामलों पर विचार हेतु चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट 'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति से है;

(घ) "ड्यूटी पद" का अर्थ किसी पद से है जो द्वितीय अनुसूची में चाहे स्थाई या अस्थाई हो;

(ङ) "सरकार" का अर्थ अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं संविधान के अनुच्छेद 239 कक के अन्तर्गत यथा पदनामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है;

(च) "ग्रेड" का अर्थ प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रेडों में से किसी ग्रेड से है;

(छ) "अनुसूची" का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न किसी अनुसूची से है;

(ज) "सेवा" का अर्थ दिल्ली सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी भारतीय चिकित्सा पद्धति स्वास्थ्य सेवा से है ।

3. **सेवा का गठन** .—दिल्ली सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (भारतीय चिकित्सा पद्धति) ("क" वर्ग) स्वास्थ्य सेवा नामक सेवा गठित की जाएगी जिसमें इन नियमों के नियम 7 और नियम 8 के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति होंगे ।

4. **सेवा की संरचना**.—सेवा में सम्मिलित सभी ड्यूटी पद सामान्य केन्द्रीय सिविल सेवा "क" वर्ग, राजपत्रित, अलिपिकीय और ग्रेड, वेतनमान, प्रैक्टिस बंदी भत्ता एवं इससे सम्बद्ध अन्य विषय प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

5. **सेवा का प्राधिकृत संख्या बल.**—(i) इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित ड्यूटी पदों की प्राधिकृत संख्या बल द्वितीय अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

(ii) इन नियमों के प्रारंभ होने के उपरान्त विभिन्न ग्रेडों में ड्यूटी पदों का प्राधिकृत स्थायी संख्या बल सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित किया जाएगा।

(iii) सरकार समय-समय पर विभिन्न ग्रेडों के ड्यूटी पदों की संख्या बल में यथावश्यक अस्थाई परिवर्धन या कटौती कर सकती है।

(iv) सरकार, आयोग से परामर्श करके द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित पदों के अतिरिक्त किसी अन्य पद को सेवा में सम्मिलित या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से हटा सकती है।

(v) सरकार, आयोग से परामर्श करके उप-नियम (4) के अन्तर्गत सेवा में सम्मिलित पद वाले किसी अधिकारी को किसी अस्थाई पद या किसी स्थाई पद में सेवा के यथोचित उपयुक्त ग्रेड में नियुक्त कर सकती है और समकक्ष ग्रेड में निरन्तर नियमित सेवा को ध्यान में रखने के उपरान्त ग्रेड में उसका वरिष्ठता क्रम निर्धारित कर सकती है।

(vi) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कुल पदों के पांच प्रतिशत पद "छुट्टी आरक्षित" के रूप में सेवा में सम्मिलित किए जाएंगे।

6. **सेवा के सदस्य.**—

(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे :—

(क) नियम 5 के उप-नियम (v) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति।

(ख) नियम 7 के अन्तर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति, तथा

(ग) नियम 8 के अन्तर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति।

(2) उप-नियम (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति को ऐसी नियुक्ति होने पर अनुसूची-2 में उस पर लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य मान लिया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तिथि से अनुसूची-2 में उस पर लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य होगा।

7. **सेवा का प्रारम्भिक गठन.**—(i) आयुर्वेद या यूनानी चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत नियुक्त सभी सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी, सहायक निदेशक (आयुर्वेद/यूनानी) और उप-निदेशक (भारतीय चिकित्सा पद्धति) इन नियमों के प्रारंभ होने को या पूर्व इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त मान लिये जायेंगे और वे अपने-अपने ग्रेडों में सेवा के सदस्य होंगे।

4871 DS/12-2

8. **सेवा का भविष्य में अनुरक्षण**—(i) अनुसूची-II में संदर्भित किन्हीं ग्रेडों में से किसी ग्रेड की रिक्तियां इन नियमों के अन्तर्गत उपबंधित किये जाने के बाद इसमें उल्लिखित पद्धति से भरी जाएंगी।

(ii) सम्बद्ध उप संवर्गों के पदों पर नियुक्त या पदोन्नति के लिए आसन्न निम्न ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा सहित भर्ती पद्धति, पदोन्नति के लिये चयन का क्षेत्र अनुसूची-III में यथाविनिर्दिष्ट होगी/होगा।

(iii)(क) विभागीय पदोन्नतियां संवर्ग के अधिकारियों तक सीमित रहेंगी।

(ख) उच्चतर पदों पर विभागीय पदोन्नतियां अनुसूची-IV यथागठित विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुतियों के आधार पर आसन्न निम्न ग्रेड में सेवा के अधिकारियों में से चयन के आधार पर की जाएगी।

(iv) यदि सेवा के किसी पद पर नियुक्त कोई अधिकारी उच्च पद में नियुक्ति के लिये मान लिया जाता है तो ग्रेड में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा। शर्त यह है कि वे ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा या दो वर्ष, जो भी कम हो, आधे से अधिक अपेक्षित/अर्हक/पात्रता से न्यून न हो और उन्होंने अपने से उन कनिष्ठ अधिकारियों के साथ आसन्न उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिये अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है।

(v)(क) गैर-चयन आधार (वरिष्ठता क्रम एवं उपयुक्तता) पर सेवारत किसी अधिकारी की नियुक्ति करने को छोड़कर सेवा के अनुरक्षण के लिये अधिकारियों का चयन आयोग के परामर्श से किया जाएगा और जब आवश्यक हो तब अनुसूची-IV में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर किया जाएगा।

(ख)(i) सीधी भर्ती द्वारा सेवा के विभिन्न ड्यूटी पदों की नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षिक और अन्य योग्यता अनुभव तथा आयु-सीमा अनुसूची-V में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

(ii) उक्त वर्णित ग्रेडों (प्रविष्टि ग्रेडों से भिन्न) में पदोन्नति रिक्तियों से लिकेंज के बिना होगी।

(vi) कार्य क्रियात्मक प्रयोजनों के लिए :—

(क) कोई वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जब किसी औषधालय/अस्पताल में या भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी निदेशालय में तैनात किया जाए तब वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में या सहायक निदेशक के रूप में, जैसी भी स्थिति होगी, पदनामित किया जाएगा।

(ख) कोई मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जब किसी औषधालय/अस्पताल में या भारतीय चिकित्सा पद्धति

तथा होम्योपैथी निदेशालय में तैनात किया जाए तब मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में या उप-निदेशक के रूप में, जैसी भी स्थिति होगी, पदनामित किया जाएगा ।

(ग) 10,000+15,200 रुपये+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधनों)/ 15,600—39,100 रुपये ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधित)+ प्रैक्टिस बन्दी भत्ता के वेतनमान में वर्तमान सहायक निदेशक और 12,000—16,500 (संशोधन पूर्व)/ 15,600—39,100 रुपये ग्रेड पे 7600 रुपये (संशोधित)/ प्रैक्टिस बंदी भत्ता के वेतनमान के उप-निदेशक को क्रमशः 10,000—15,200 रुपये+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधितपूर्व)/ 15,600—39,100 रुपये ग्रेड पे 6600 रुपये (संशोधित)/ प्रैक्टिस बंदी भत्ता और 12,000—16,500 (संशोधन पूर्व)/15,600—39100 रुपये ग्रेड पे 7600 रुपये (संशोधित)/ प्रैक्टिस बंदी भत्ता वेतनमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी स्तर के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी सवंर्ग में सम्मिलित किये गये मान लिये जाएंगे । इस प्रकार सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में सम्मिलित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी स्तर के सहायक निदेशक 12,000—16,500 रुपये (संशोधन पूर्व) 15,600—39100 रुपये ग्रेड पे 7600 रुपये (संशोधित)/प्रैक्टिस बंदी भत्ता के वेतनमान में सहायक निदेशक के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के विचार किए जाने योग्य होंगे ।

इस प्रकार सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में सम्मिलित मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर के उप-निदेशक 14,300—18,300 रुपये+प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (संशोधित पूर्व)/वेतन समूह-IV 37,400—67,000 रुपये+ग्रेड पे 8700 रुपये+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधित) के वेतनमान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-कार्य क्रियात्मक चयन ग्रेड) के रूप में ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-कार्य क्रियात्मक ग्रेड) के ग्रेड में नियुक्ति के लिये विचार किये जाने योग्य होंगे ।

9. **वरिष्ठता क्रम.**—नियम 6 के अन्तर्गत सेवा के प्रारंभिक गठन के समय ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों का वरिष्ठता क्रम इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को मिलेगा ।

बशर्ते कि यदि ऐसे किसी सदस्य की वरिष्ठता का उक्त तिथि को विशेष रूप से निर्धारण नहीं किया गया है तो उस सदस्य की वरिष्ठता को इस नियमावली के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा के सदस्यों पर लागू वरिष्ठता के सुनिश्चयन संबंधी नियमों के आधार पर निर्धारण किया जायेगा :

(ख) नियम 6 के अधीन नियुक्ति के पदों को छोड़कर अन्य पदों पर भर्ती अधिकारियों की वरिष्ठता केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी ।

(ग) नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार सेवा में भर्ती व्यक्तियों की वरिष्ठता उसमें उपबंधित रूप से निश्चित की जायेगी ।

(घ) जो मामले उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं उनकी वरिष्ठता आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

10. **परिवीक्षा.**—(i) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा :

उपबंध किया जाता है कि नियंत्रण अधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकता है ।

यह भी उपबंध है कि परिवीक्षा को बढ़ाने संबंधी निर्णय पिछली परिवीक्षा अवधि की समाप्ति से आठ सप्ताह के दौरान लिया जायेगा तथा इसकी सूचना उक्त अवधि में संबंधित अधिकारी को परिवीक्षा अवधि बढ़ाए जाने का लिखित कारण बताते हुए दी जाएगी ।

(ii) परिवीक्षा अवधि या विस्तार अवधि के पूरा होने पर यदि अधिकारी को उपयुक्त माना जाता है तो उस पद पर स्थायी कर दिया जायेगा यदि उसे पहले प्रवेश ग्रेड में स्थाई नहीं किया गया है ।

(iii) यदि परिवीक्षा या विस्तार अवधि, जैसी भी स्थिति हो, में सरकार की राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार अधिकारी को बर्खास्त या सेवा में नियुक्ति से पूर्व धारित पद, जैसी भी स्थिति हो, पर प्रत्यावर्तित कर सकती है ।

(iv) प्रत्याशी को, परिवीक्षा या विस्तार अवधि के दौरान सरकार जैसा उचित समझती है परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूरा करने की शर्त के रूप में प्रशिक्षण या शिक्षा पाठ्यक्रम लेने तथा ऐसी परीक्षा या जाँच (हिन्दी की परीक्षा सहित) सरकार जैसा उचित समझे, को उत्तीर्ण करने के लिए कह सकती है ।

(v) परीवीक्षा संबंधी अन्य मामलों के विषय में सदस्य की सेवाओं का नियमन भारत सरकार के इस बारे में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा ।

11. **सेवा में नियुक्ति.**—सेवा की सभी नियुक्तियाँ नियंत्रण प्राधिकारी करेगा ।

12. **सेवा के लिए दायित्व एवं अन्य सेवा शर्तें.**—(i)सेवा में नियुक्त अधिकारी को दिल्ली में कहीं भी सेवा करनी होगी ।

(ii) (2) प्राइवेट प्रैक्टिस का निषेध ।

(iii) सेवा में नियुक्त व्यक्ति को परामर्श तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी ।

(iv) ये व्यक्ति अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट दर से गैर-प्रैक्टिस भत्ते के पात्र होंगे ।

13. **अयोग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति,—

(क) जो किसी जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं तो वह मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय से परामर्श करके किसी भी ऐसे प्रत्याशी को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है ।

14. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकती है ।

15. **बचाव**.—इन नियमों में कुछ भी होते हुए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों से संबंधित प्रत्याशियों के लिये उपलब्ध कराये जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा ।

16. **व्याख्या**—यदि इस नियमावली की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह पैदा होता है तो सरकार आयोग के साथ परामर्श से इस पर निर्णय लेगी ।

अनुसूची-I

दिल्ली सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद/यूनानी) स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित 'क' वर्ग के पदों इत्यादि के ग्रेड, वेतनमान और प्रैक्टिस बंदी भत्ता इत्यादि :—

क्र. सं. ग्रेड	वेतनमान
(i) मुख्य चिकित्सा अधिकारी	वेतन समूह-4 (37,400-67,000/- रुपये) ग्रेड पे 8700/- रुपये
(ii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी	वेतन समूह-3 (15,600-39,100/- रुपये) ग्रेड पे 7600/- रुपये
(iii) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	वेतन समूह-3 (15,600-39,100/- रुपये) ग्रेड पे 6600/- रुपये
(iv) चिकित्सा अधिकारी	वेतन समूह-3 (15,600-39,100/- रुपये) ग्रेड पे 5400/- रुपये

(II) प्रैक्टिस बंदी भत्ता

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार ग्राह्य प्रैक्टिस बंदी भत्ते की दरें होंगी ।

(III) वार्षिक भत्ता

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार ग्राह्य स्नातकोत्तर भत्ता/सवारी भत्ता/वार्षिक भत्ता ।

अनुसूची-II

दिल्ली सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद/यूनानी) स्वास्थ्य सेवा संवर्ग का प्राधिकृत संख्या बल :—

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1.	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय	
	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2
	चिकित्सा अधिकारी	42
	जोड़	**45**

अनुसूची-III

भर्ती पद्धति, पदोन्नति के लिये चयन क्षेत्र तथा दिल्ली स्वास्थ्य सेवा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद/यूनानी) के आसन्न न्यून ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा या अधिकारियों की "क" समूह ड्यूटी पदों पर पदोन्नति :—

क्र.सं.	पदनाम	पदोन्नति के लिए भर्ती पद्धति	चयन का क्षेत्र तथा न्यूनतम अर्हक सेवा
1.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) वेतन समूह (37,400-67,000 रुपये +ग्रेड पे 8700 रुपये)	वरिष्ठता क्रम एवं उपयुक्तता की शर्त अधीन रिक्त पदों से सम्बद्ध किए बिना गैर-चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत	"क" समूह के पदों में तेरह वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर या रिक्त पदों से सम्बद्ध किए बिना 12000-16500 रुपये के संशोधन पूर्व वेतनमान में की गई सेवा सहित वेतन समूह-3 ग्रेड पे 7600 रुपये में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप-निदेशक भारतीय चिकित्सा पद्धति) के रूप में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर ।

क्र.सं.	पदनाम	पदोन्नति के लिए भर्ती पद्धति	चयन का क्षेत्र तथा न्यूनतम अर्हक सेवा
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी वेतन समूह-3 (15,600-39,100/- रुपये) ग्रेड पे 7600/- रुपये	वरिष्ठता क्रम एवं उपयुक्तता की शर्त अधीन रिक्त पदों से सम्बद्ध किए बिना गैर-चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत	10,000-15,200/- रुपये के संशोधन पूर्व वेतनमान में की गई सेवा सहित वेतन समूह-3 ग्रेड वेतन 6600 रु-में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/सहायक निदेशक (भारतीय चिकित्सा पद्धति) के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर या चिकित्सा अधिकारी तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी /सहायक निदेशक (भारतीय चिकित्सा पद्धति) के रूप में कुल नौ वर्ष नियमित सेवा पूरी होने पर जिसमें रिक्त पदों का सम्बद्ध किए बिना कम से कम दो वर्ष वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/सहायक निदेशक (भारतीय चिकित्सा के रूप में पद्धति) जो 12000-16500/- रुपये के वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्त किए गए हैं वह प्रारम्भिक गठन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किए जाएंगे ।
3.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी वेतन समूह-3 (15,600-39100/- रुपये) ग्रेड पे 6600/- रुपये	वरिष्ठता क्रम एवं उपयुक्तता की शर्त अधीन रिक्त पदों से सम्बद्ध किए बिना गैर-चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत	8000-13,500/- रुपये के संशोधन पूर्व वेतनमान में की गई सेवा सहित वेतन समूह-3, ग्रेड पे 5400/- रुपये में चिकित्सा अधिकारी के रूप में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर ।
4.	चिकित्सा अधिकारी वेतन समूह-3 (15,600-39100/- रुपये) ग्रेड पे 5400/- रुपये	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके यथानिर्धारित आयु सीमा तथा शैक्षिक योग्ताएं एवं अनुभव के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली लिखित परीक्षा तत्पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिए गए साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा ।	शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा आयु सीमा आदि के लिये अनुसूची-V देखिए ।

टीप :—पदोन्नतियां "गैर-चयन" आधार पर होगी । विभागीय पदोन्नतियां उसी उप-संवर्गों के अधिकारियों तक सीमित होंगी । सभी प्रयोजनों के लिए आयुर्वेद एवं यूनानी दो अलग-अलग उप-संवर्ग होंगे ।

अनुसूची-IV

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (भारतीय चिकित्सा पद्धति) के समूह "क" के पदों पर पदोन्नति या स्थायीकरण के विचारार्थ समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति :—

(क) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-प्रकार्य चयन ग्रेड) के लिये विभागीय पदोन्नति समिति :—

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —अध्यक्ष
2. संबंधित सचिव, दिल्ली सरकार —सदस्य
3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब वह सरकार में पदेन सचिव न हो —सदस्य

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —अध्यक्ष
2. संबंधित सचिव, दिल्ली सरकार —सदस्य
3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब वह सरकार में पदेन सचिव न हो —सदस्य

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —अध्यक्ष
2. संबंधित सचिव, दिल्ली सरकार —सदस्य
3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब वह सरकार में पदेन सचिव न हो —सदस्य

(ख) **चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद/यूनानी) का स्थायीकरण**

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —अध्यक्ष
2. संबंधित सचिव, दिल्ली सरकार —सदस्य
3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब वह सरकार में पदेन सचिव न हो —सदस्य

नोट 1 : मनोनीत अधिकारी पदोन्नति के लिये विचारणीय व्यक्तियों से कम से कम सामान्यत: एक स्तर ऊपर होगा ।

अनुसूची-V

क्र. सं.	पद का नाम	आयु	शैक्षिक एवं अन्य अपेक्षित योग्यताएं
1.	चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद/यूनानी) पे बैंड-3 (15,600-39,100- रुपये) ग्रेड पे 5400/- रुपये) + प्रैक्टिस बंदी भत्ता	35 वर्ष से अधिक नहीं **टीप—1** : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय **टीप—2** : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।	**अनिवार्य** :— 1. केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अधीन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या सांविधिक राज्य बोर्ड/परिषद् से आयुर्वेद/यूनानी में डिग्री या समकक्ष 2. आयुर्वेद/युनानी के केन्द्रीय या राजकीय रजिस्टर में नामांकन **टीप—1** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है ।
2.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद/युनानी)	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद/युनानी)	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद/युनानी), एनएफएसजी	लागू नहीं	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. के. सचान, उप-सचिव

4871 DS/12-3

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 31st December, 2012

F. No. 6/59/2002/DISMH/Admn./449.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs O.M. No. 24/78/68-DH(S), dated 24-9-1968, and in supersession of the Delhi Health Service Rules of General Duty Medical Officer (Indian System of Medicine) Rules, 2008 notified on 21st May, 2008 except as respects the things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission is pleased to frame the Delhi Health Services Rules of General Duty Medical Officer (Indian System of Medicine), in the Directorate of ISM and Homoeopathy, under the Health and Family Welfare Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the Delhi Health Services Rules of General Duty Medical Officer (Indian System of Medicine) 2012.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission.

(b) "Controlling Authority" means the Health and Family Walfare Department, Government of National Capital Territory of Delhi.

(c) "Departmental Promotion Committee" means a Group "A" Departmental Promotion Committee specified in Schedule IV for considering cases of promotion or confirmation in Group "A" posts of the service.

(d) "Duty Post" means any post, whether permanent or temporary, specified in Schedule-II.

(e) "Government" means the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi appointed by the President under Article 239 and designated as such under article 239 AA of the Constitution.

(f) "Grade" means any of the grades specified in Schedule-I

(g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

(h) "Service", means the Delhi Health Service of General Dury Medical Officer Indian System of Medicine.

3. **Constitution of Service.**—There shall be constituted a Service known as Delhi Health Service of General Duty Medical Officers Indian System of Medicine (Group 'A') constiting of persons, appointed under rule 7 and rule 8 of these rules.

4. **Composition of the Service.**—All duty posts, included in the Service shall be classified as General Central Civil Service Group "A" Gazetted, non-ministerial and the grades, scales of pay, non-practicing allowance and other matters connected therewith shall be as specified in Schedule-I.

5. **Authorized Strength of the Service.**—(i) The authorized strength of the duty posts included in the various grades of the Service on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule-II.

ii. After the commencement of these rules, the authorized permanent strength of the duty posts in the various grades shall be such as may from time to time be determined by the Government.

iii. The Government may make temporary addition to, or reduction in the strength of the duty posts in the various grades as deemed necessary from time to time.

iv. The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any post other than those included in Schedule-II orexclude from the Service a post included in the said Schedule.

v. The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4), to the appropriate grade of the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.

vi. Five percent of the total number of posts of the senior Medical Officers and Chief Medical Officers shall be included in the Service as 'leave reserve'.

6. **Members of the Service :—**

(1) The following persons shall be members of the Service,namely.

(a) Persons appointed under sub-rule (v) of rule 5.

(b) Persons appointed to duty posts under rule 7, and

(c) Persons appointed to duty posts under rule 8.

(2) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate Grade applicable to him in Schedule-II.

(3) A person appointed under clause (c) of sub-rule (1) shall, be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule - II from the date of such appointment.

7. **Initial Constitution of the Service.**—(i) All the General Duty Medical Officers appointed under the Ayurveda or Unani system of medicine, Assistant Director (Ayurveda/Unani) and Deputy Director (Indian System of Medicine) on or before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and they shall be members of the service in the respective grades.

(ii) The regular continuous service of officers referred to in sub-rule (i) before the commencement of these rules shall count for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

8. **Future Maintenance of Service.**—(i) The vacancies in any of the grades referred to in Schedule-II shall be filled in the manner as herein after provided under these rules.

ii. The method of recruitment, the field of selection for promotion including the minimum qualifying service in the immediate lower grade for appointment or promotion to the posts in the respective sub-cadres shall be as specified in Schedule-III.

iii. (a) The Departmental Promotions shall be confined to officers of the cadres.

(b) The Departmental Promotions to higher posts shall be made on the basis of selection from amongst the officers of the service in the immediate lower grade on the recommendations of the departmental promotion Committee Constituted as at Schedule-IV.

iv. If any officer appointed to any post in the service is considered for the purpose of promotion to the higher post, all persons senior to him in the grade shall also be considered, provided they are not short of requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.

v. (A) Except while appointing a serving officer on non-selection basis (seniority-cum-fitness), the selection of officers for maintenance of the service shall be made in consultation with the commission, and wherever necessary, on the basis of the recommendation made by Departmental promotion committee as specified in Schdule-IV.

(B) (a) The minimum educational and other qualification, experience and age limit for appointment of various duty posts in the Service by direct recruitment shall be as specified in Schedule-V.

(b) The promotion to the grades (other than entry grades) mentioned above shall be without linkage to vacancies.

vi. For functional purposes :—

(a) A Senior Medical Officer when posted in a dispensary/ Hospital or in the Directorate of ISM & H shall be designated as Senior Medical Officer or as Assistant Director as the case shall be.

(b) A Chief Medical Officer when posted in a Dispensary/Hospital or in the Directorate of indian system of medicine and Homoeopathy shall be designated as Chief Medical Officer, or as Deputy Director as the case shall be.

(c) The existing Assistant Director in the scale of Rs. 10,000-15,200+NPA (pre-revised)/ Rs. 15,600-39,100+Grade pay Rs. 6600 (revised)+NPA and Deputy Director in the scale of pay Rs. 12,000-16500 (pre revised)/ Rs. 15,600-39,100+Grade pay Rs. 7600 (revised)+NPA, shall be deemed to have been included in the General Duty Medical Officers Cadre at the level of Senior Medical Officers in the scale of Rs. 10,000-15,200+NPA (pre-revised)/Rs. 15,600-39,100 + Grade Pay Rs. 6600 (Revised)+NPA and Chief Medical Officer in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500 (pre revised) /Rs. 15,600-39,100+Grade pay 7600 (revised)+NPA respectively. The Assistant Director, so included in the General Duty Medical Officers Cadre at the level of Senior Medical Officers shall be eligible to be considered for appointement as Chief Medical Officers in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500 (pre revised)/Rs. 15,600-39100,+Grade pay of Rs. 7600 (revised)+NPA on completion of five years of regular service as Assistant Director. The Deputy Director, so included in the General Duty Medical Officers Cadre at the level of Chief Medical Officer shall be eligible to be considered for appointment in the grade of Chief Medical Officer (Non-functional Selection Grade) in the scale of pay of Rs. 14,300-18,300+NPA (pre revised)/PB IV Rs. 37,400-67000+Grade pay Rs. 8700+NPA (revised) on completion of four years regular service in the grade.

9. **Seniority.**—

(a) The seniority of members of the service appointed to a grade at the time of intial

constitution of the service under Rule 6, shall be as obtaining on the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were appilicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules.

(b) The seniority of officers recruited to posts other than those appointed under Rule 6 shall be determined in accordance with the orders issued by the Central Government in the matter from time to time.

(c) The seniority of persons recruited to the service in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 shall be fixed in the matter provided therein.

(d) In cases not covered by the above provisions, seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

10. **Probation.**—(i) Every officer appointed to the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of one year :

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by Government from time to time :

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

ii. On completion of the probation or any extension thereof, officers shall if considered fit, may be confirmed against the post, if not already confirmed in the entry grade.

iii. If during the period of probation or any extension thereof, as the case may be Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

iv. During the period of probation, or any extension thereof candidates may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit as condition for satisfactory completion of probation.

v. As regards other matters relating to probation, the members of the Service will be governed by the instructions issued by the Government of India in this regard from time to time.

11. **Appointment to the Service.**—All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority.

12. **Liability for Service and other conditions of Service.**—

i. Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in Delhi.

ii. (2) Private Practice prohibited :—

iii. Persons appointed to the service shall not be allowed private practice of any kind whatsoever including any consultation and laboratory practice.

iv. Such persons shall be entitled to a Non-practising allowance at the rate specified in Schedule-I.

v. The conditions of service of the members of the service in respect of matters not expressly provided for in these rules, shall, mutatis mutandis and subject to any special orders issued by the Government in respect of the Service, be the same as those applicable to Officers of the Central Civil Services in general.

13. **Disqualification.**—No person, shall be eligible for appointment to the Service.

i. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

ii. who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

14. **Powers to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. **Saving Clause.**—"Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, Schedule Tribes, Other Backward Class, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard".

16. **Interpretation.**—If any question relating to the interpretation of these rules arises, the Government shall decide it in consultation with the Commission.

SCHEDULE-I

Grade, Scales of Pay and Non-Practicing Allowance etc. of Group-A Posts included in the Delhi Health Service of General Duty Medical Officer (Ayurveda/Unani) :—

S. No. Grade	Scale of Pay
(i) Chief Medical Officer (Non functional Selection Grade)	PB-4 [Rs. 37,400-67,000] Grade Pay Rs. 8700
(ii) Chief Medical Officer	PB-3 [Rs. 15,600-39,100] Grade Pay Rs. 7600
(iii) Senior Medical Officer	PB-3 [Rs. 15,600-39,100] Grade Pay Rs. 6600
(iv) Medical Officer	PB-3 [Rs. 15,600-39,100] Grade Pay Rs. 5400

(II) **Non-Practice Allowance :—**

Rates of Non-Practicing Allowance admissible as per orders issued from time to time by the Government.

(III) **Annual Allowance :—**

Post Graduate Allowance/Conveyance allowance/Annual allowance admissible as per orders issued from time to time by the Government.

SCHEDULE-II

Authorized strength of Delhi Health Service of General Duty Medical Officer Indian System of Medicine (Ayurveda/Unani) cadre :—

S. No.	Designation	No. of Posts
1.	Directorate of Indian System of Medicine and Homoeopathy	
	Chief Medical Officer	1
	Senior Medical Officer	2
	Medical Officer	42
	Total	**45**

SCHEDULE-III

The method of recruitment, field of selection for promotion and the minimum qualifying service in the immediate lower grade or promotion of officers to Group "A" duty posts in the Delhi Health Service of General Duty Medical Officer Indian System of Medicine (Ayurveda/Unani) :—

Sl. No.	Name of the Post	Method of recruitment for Promotion	Field of Selection and Minimum qualifying service
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade) PB-4 [Rs. 37400-67000]+ G.P. Rs. 8700	100% By promotion on non-selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness.	**Promotion :** On completion of thirteen years of regular service in Group "A" posts or on completion of four years of regular service as Chief Medical Officer/Deputy Director (ISM) in the Grade Pay of Rs. 7600 PB-3 including service rendered in the pre-revised pay scale of Rs.12,000-16,500 without linkage to vacancies.
2.	Chief Medical Officer PB-3 [Rs. 15600-39100]+ G.P. Rs. 7600	100% By promotion on non-selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness.	On completion of five years of regular service as Senior Medical Officer/ Assistant Director (ISM) in the Grade Pay of Rs. 6600 in PB-3 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 10,000-15,200 or on completion of nine years of combined regular service as Medical officer and Senior Medical Officer/Assistant Director (ISM) of which at least two years shall be as Senior Medical Officer/Assistnat Director (ISM), withourt linkage vacancies.

(1)	(2)	(3)	(4)
			Note : The existing Deputy Director (ISM) who has been regularly appointed in the scale of Rs. 12,000—16,500 shall be included in the GDMO cadre at CMO level in the initial constitution.
3.	Senior Medical Officer PB-3 (Rs. 15600-39100)+ GP Rs. 6600	100% By promotion on Non-Selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness	On completion of four years of regular service as Medical Officer in Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3 including the service rendered in the pre-revised scale of Rs. 8000—13,500.
4.	Medical Officer PB-3 (Rs. 15600-39100)+ GP Rs. 5400	By direct recruit on the basis of a written examination to be conducted by the Union Public Service to be followed by an interview through Union Public Service Commission in accordance with age-limit and educational qualifications and experience as may be prescribed in consultation with the Union Public Service Commission	See Schedule V for qualification, experience and age-limit, etc.

Note :—Promotion shall be on "Non-Selection" basis. The departmental promotions shall be confined to officers of the same sub-cadres. The Ayurveda and Unani shall be two separate sub-cadres for all purposes.

SCHEDULE-IV

Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering the cases of promotion or confirmation in Group "A" posts in the Delhi Health Service of General Duty Medical Officer (Indian System of Medicine) :—

A. Departmental Promotion Committee for Chief Medical Officer (Non-functional Selection Grade)

(a) Chief Secretary, Government of NCT of Delhi —Chairman

(b) Secretary concerned in GNCT of Delhi —Member

(c) HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in GNCT of Delhi —Member

Chief Medical Officer

(a) Chief Secretary, Government of NCT of Delhi —Chairman

(b) Secretary concerned in GNCT of Delhi —Member

(c) HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in GNCT of Delhi —Member

Senior Medical Officer

(a) Chief Secretary, Government of NCT of Delhi —Chairman

(b) Secretary concerned in GNCT of Delhi —Member

(c) HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in GNCT of Delhi —Member

B. Confirmation Medical Officer (Ayurveda/Unani)

(a) Chief Secretary, Government of NCT of Delhi —Chairman

(b) Secretary concerned in GNCT of Delhi —Member

(c) HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in GNCT of Delhi —Member

Note 1 : The nominee officer should be normally at least one level above the level for which the persons are to be considered for promotion.

SCHEDULE-V

S. No.	Name of the Post	Age	Educational and other qualification required
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Medical Officer (Ayurveda/Unani) [PB-3] [Rs. 15600-39100]+ GP Rs. 5400+NPA	Not exceeding 35 years **Note :1** Relaxable for Government Servants by 5 years in accordance with instructions issued by the Central Government. **Note : 2** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt or applications from candiates in India (and not the closing date prescribed from those in Assam, Meghalaya, ArunachalPradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	**Essential :** (i) Degree in Ayurveda/Unani of a recognized University or Statutory State Board/Council of equivalent recognized under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970). (ii) Enrolment on State Register or Central Register of Ayurveda/Unani **Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of UPSC in case of candidates otherwise well qualified.
2.	Senior Medical Officer (Ayurveda/Unani)	Not Applicable	Not Applicable
3.	Chief Medical Officer (Ayurveda/Unani)	Not Applicable	Not Applicable
4.	Chief Medical Officer (Ayurveda/Unani) NFSG	Not Applicable	Not Applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

S. K. SACHAN, Dy. Secy.

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2012

सं. फा. 8/504/2012/गृह पुलिस-II/7681.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74-यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की तरफ से श्री दयान कृष्णन, अतिरिक्त स्थायी अभियोजक (अपराध), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार एवं श्री राजीव मोहन, अतिरिक्त लोक अभियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को केस-एफआईआर संख्या 413/2012 की उप-धारा 365/376 (2)(जी)/377/394/34 भा. द. सं. की पुलिस स्टेशन वसंत विहार, नई दिल्ली में (सामूहिक बलात्कार) केस के संचालन के लिए राज्य (दिल्ली सरकार) की तरफ से विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं । इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक शुल्क का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर,

बी. के. तिवारी, उप-सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 31st December, 2012

No. F. 8/504/2012/HP-II/7681.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedures, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74/UTL(i), dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint, Shri Dayan Krishnan, Additional Standing Counsel (Crl.), Goverment of National Capital Territory of Delhi and Shri Rajiv Mohan, Additional Public Prosecutor, Government of National Capital Territory of Delhi, as Special Public Prosecutors to conduct the case FIR No. 413/12 u/s 365/376 (2) (G)/377/394/34 IPC PS Vasant Vihar, New Delhi, (Gang rape case), on behalf of State (Government of National Capital Territory of Delhi), in the Court of competent jurisdiction. No remuneration shall be paid.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

B. K. TIWARI, Dy. Secy. (Home)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.